न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00283

अब्दुल रहमान आत्मज ईदाशाह जाति मुसलमान निवासी नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. शमशुद्दीन आत्मज ईदाशाह जाति मुसलमान निवासी नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. शहजाद आत्मज ईदाशाह जाति मुसलमान निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. हनीसा आत्मज ईदाशाह जाति मुसलमान निवासी किले के अन्दर मस्जिद के पास श्योपुर जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश) ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मनीष कुमार स्वामी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 09.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.04.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 04 किता की 2.80 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि अप्रार्थी क्रम 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । उक्त भूमि प्रार्थी के पिता नूर शाह से विरासत में प्राप्त हुई है । अप्रार्थी क्रम 01 के केवल मात्र एक पुत्री गुलफान बाई थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है इसके अलावा अन्य कोई पुत्र व पुत्री वारिसान नहीं है । अप्रार्थी क्रम 01 ने अपने खाते की उक्त भूमि को अपने जीवनकाल में ही अपेन नवासे – नवासी को दे दी थी यानि प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 को बराबर–बराबर 1/4–1/4 हिस्से से दे दी थी और इसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी काबिज काश्त मौके पर चले आ रहे हैं । प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2, 3 व 4 अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि होने से प्रार्थी अपने 1/4 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है तथा अपने हिस्से की भूमि का विभाजन कराकर भूमि विभाजन में प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अप्रार्थी क्रम 01 को अप्रार्थी क्रम 02 बहला फुसला कर उक्त भूमि अपने नाम कराने पर प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी क्रम 02 को अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान, अन्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करे तथा प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि को काश्त करने से नहीं रोके और न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.04.2018 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.04.2018 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य विद्यमान था कि खातेदार जुम्मी का देहान्त हो चुका है और अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 मुसम्मात जुम्मी की पुत्री गुलफाम बाई की औलाद है । प्रकरण में बदली हुई परिस्थितियों में सभी पक्षकारान का मुसम्मात जुम्मी की भूमि में विरासत के आधार पर हिस्सा बनता है । रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने जो तथाकथित वसीयत आलेखित करवाई है उससे रेस्पोडेन्ट क्रम 01 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि मुस्लिम कानून के अनुसार कोई भी मुस्लिम अपनी सम्पत्ति के 1/3 हिस्से की वसीयत ही कर सकता है और वह वसीयत भी तब मान्य होती है जब उसके शेष वारिसान उसकी मृत्यु के पश्चात् वसीयत के सम्बन्ध में सहमति दें । प्रस्तुत प्रकरण में जुम्मीबाई के वारिसान के मध्य वसीयत के सम्बन्ध में विवाद है । इन समस्त तथ्यों को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है जो

त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.04.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि की है । खातेदार जुम्मी का देहान्त हो चुका है । अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट कल 1 लगायत 3 जुम्मी की पुत्री गुलफाम की संतान हैं । जुम्मी के देहान्त के बाद उनके कायममुकामान बनने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ है । रेस्पोडेन्ट ने जुम्मी की तथाथित वसीयत आलेखित करवायी है उससे उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि मुस्लिम विधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति के 1/3 हिस्से तक ही वसीयत कर सकता है और वसीयत भी तब मान्य होगी जब शेष वारिसान सहमति दे दें । वसीयत के सम्बन्ध में विवाद है । इन समस्त तथ्यों की अनदेखी करके स्थगन आदेश खारिज किया है । रिकॉर्ड में जुम्मी बाई का नाम दर्ज होने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.04.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिपक्षी कम 1 के खाते की है जिनको रहन, बेचान करने का पूर्ण अधिकार है । आराजी पुश्तैनी नहीं है वसीयत विधि सम्मत है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.04.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी कुल 04 किता की 2.80 हैक्टर भूमि प्रतिपक्षी कम 01 जुम्मी बाई के खाते में दर्ज है । अपीलान्टगण ने जो पारिवारिक शजरा पेश किया है उसके अनुसार जुम्मी बाई की पुत्री गुलफाम बाई की मृत्यु हो चुकी है और उनके 04 वारिस' हैं । अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट कम 2, 3 और 4 । अपील में अपीलान्ट ने अवगत करवाया है कि जुम्मी बाई की मृत्यु हो चुकी है और रेस्पोडेन्ट कम 01 ने जुम्मी बाई से तथाकथित वसीयत अपने पक्ष में निष्पादित करवायी है । मुस्लिम विधि में वसीयत के बाबत् विशेष प्रावधान हैं जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति में 1/3 हिस्से से अधिक की वसीयत नहीं कर सकते और वो वसीयत भी तभी मान्य होगी जब शेष वारिस सहमति दे दें । चूँकि इस प्रकरण में वसीयत के बाबत् पक्षकारों में सहमति नहीं है । पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होगें इस स्टेज पर नहीं । ऐसी स्थिति में हम इस प्रकरण में ताफैसला दावा पक्षकारों को रहन, बेचान न करने व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.04.2018 निरस्त किया जाता है । वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा नया खाता संख्या 161 में खसरा नम्बर 52/1 रकबा 1.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 460/1 रकबा 0.27 हैक्क्टर, खसरा नम्बर 1534/1 रकबा 1.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 2019/1404 रकबा 0.22 हैक्टर कुल 04 किता की 2.80 हैक्टर भूमि के बाबत् ताफैसला वाद पक्षकारों को आराजी को रहन, बेचान न करने व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 09.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा